

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 05.05.2017

फाईल नम्बर:-9-HRB040/2017-CHA
सेवा में

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा सरकार,
C-18 , वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा ।

विषय:- Diversion of 0.94 ha of forest land in favour of Executive Engineer, HUDA Division, Karnal for construction of 45 M wide road behind Sector 8, Part -II and Sector 9 urban estate, under Forest Division and District Karnal, Haryana

संदर्भ:- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-6962/289 दिनांक 25.04.2017

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.94 hec. वन भूमि की मांग की गई है।

- 2 कृपया इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक जानकारी मेज़ाने का कष्ट करें ।
- It is a new construction of road which is not exempted for provision of equivalent non forest land under para 3.2(vi)
 - The geo referenced digital map of the proposed site is not uploaded online at column C (iv) of Part I . KML file of proposed site be uploaded alongwith hard copy of original digital map signed by DFO.

3 ऊपर की गई पूछताछ का जवाब इस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है ।

भवदीय



(सोग दत्त शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Divisional Forest Officer, Forest Division & Distt.Karnal, Haryana.
2. The Executive Engineer, HUDA Division, Karnal